न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 239 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. मोतीराम पुत्र नैनाराम 2. आदूराम पुत्र नैनाराम 3. धोकलराम पुत्र नैनाराम 4. दौलतसिंह पुत्र पूंजराजसिंह 5. मोडसिंह पुत्र पूंजराजसिंह 6. शिवसिंह पुत्र पूंजराजसिंह निवासी– रामसर, लोडता तहसील सेखाला, जिला जोधपुर		1. हरजीराम पुत्र सूरताराम 2. उदाराम पुत्र सूरताराम 3. माधाराम पुत्र सूरताराम 4. पाबूराम पुत्र सूरताराम 5. भूराराम पुत्र पाबूराम 6. मूल्तानराम पुत्र भीयाराम 7. दीपाराम पुत्र भीयाराम 8. ग्राम पंचायत रामसर 9. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक शून्य / 2021 दिनांक 11.10.2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव रामसर मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा पारित आदेश शून्य / 2021 दिनांक 11.10.2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव रामसर में पारित किये गये है, के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट वगैराह की सहखातेदारी की मौजा रामसर में ख0सं0 306 / 1, 307 / 3, 307 / 4, 307 / 2, 286, 286 / 1, 285, 290 / 2, 297 / 4,

297, 283, 284, 282 आई हुई है जिन पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि संयुक्त आराजी की बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा है व न ही नक्शें में तरमीम की हुई है। इस भूमि में कोई रास्ता विघमान नहीं है और न ही किसी सहखातेदार द्वारा नये रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने भू0अ0 निरीक्षक व हल्का पटवारी से मिलीभगती कर मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए तहसीलदार को प्रेषित कर दी जिसके आधार पर तहसीलदार सेखाला ने नये रास्ते का अंकन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने दिनांक 11.10.2021 का आदेश पारित कर दिया।

3. अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस कार्यवाही बाबत अपीलान्टस व अन्य सहखातदेारान को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, और एकतरफा आदेश पारित कर दिया। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत की गई थी उस रिपोर्ट तैयार करने में मौके पर कोई खातेदार मौजूद नहीं था, मात्र कार्यालय में ही मौका रिपोर्ट तैयार कर ली गई। ख0सं0 284 में आने जाने हेतु पडौस के ख0सं0 275 में पुराना रास्ता कायम है इसके अलावा ख0सं0 288 के पास रोड स्थित है। उक्त कार्यवाही वहॉ पदस्थापित भू0अ0निरीक्षक चुतराराम व तहसीलदार सेखाला ने आपस में मिली भगती करते हुए ख0सं0 284 जो भू0अ0निरीक्षक चुतराराम के पिता मुल्तानराम व चाचा दीपाराम की खातेदारी है, उन्होनें अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिये ख0सं0 284 में रास्ता बनाया गया था, को कायम रखने हेतु ग्राम पंचायत रामसर में कैम्प होने के बावजूद दूसरी ग्राम पंचायत में प्रकरण को ले जाकर आदेश पारित करवाया गया। रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने भू0अ0निरीक्षक चुतराराम से मिलकर 16.05 बीघा भूमि का अपीलान्टस व अन्य सहखातदारों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई गई है।

4. अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) स्वयं में रास्ता खुलवाने एवं नया रास्ता उपलब्ध करवाने के विशेष प्रावधान है। इन प्रावधानो के विपरीत जाकर प्रशासनिक स्तर पर जारी परिपत्रों की आड में खातेदार के अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता। उक्त धारा में रास्ता

निकाले जाने/घोषित करवाये जाने हेतु सम्बन्धित खातेदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने पर अन्य खातेदारों को नोटिस दिया जाकर समुचित अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित किया जाता है। इस प्रकार अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे।

5. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 का हवाला दिया है उसमें मानचित्र व वार्षिक रजिस्टर का प्रावधान है। तथा राज0 भू अभिलेख 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के तहत भी रास्ता बाबत कोई प्रावधान नहीं है। अपीलाधीन आदेश में चालू स्थायी रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जाने का उल्लेख किया है जबकि अपीलान्टस के प्रकरण में ऐसा कोई रास्ता दर्शाया हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत आरबीट्रेटी, परवर्स तथा केप्रीसियत होने से अपास्त किये जाने योग्य है

6. हमने अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित मौजा रामसर में ख0सं0 306/1, 307/3, 307/4, 307/2, 286, 286/1, 285, 290/2, 297/4, 297, 283, 284, 282 कुल 16.05 बीघा भूमि में रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है। साथ ही इस हेतु जो मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार करने का कथन किया है।

7. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत

हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात तथा अपील में उपरोक्त आब्जर्वेशन के दृष्टिगत यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में उल्लेखित रकबा भूमि के खातेदारान/ पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर